गोपनीय/केवल शासकीय उपयोगार्थ

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा मा० मुख्यमंत्रीजी की घोषणा सं०–121/2020 "ऋषिकेश क्षेत्र के अन्तर्गत हरिपुर कलां, रायवाला, नेपाली फार्म में बाढ़ सुरक्षा कार्य किया जायेगा" के अंतर्गत रायवाला क्षेत्र में सौंग नदी के दांये तट पर स्थित ग्राम गौहरीमाफी की बाढ़ सुरक्षा योजना का आगणन के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 22 जून, 2021 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 22 जून, 2021 में उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहे :–

1. श्रीमती मनीषा पंवार, अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री एस0ए0 मुरूगेशन, सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. डॉ0 वी0 षणमुगम, सचिव (प्रभारी), नियोजन/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री मुकेश मोहन, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
5. श्री गंगा प्रसाद पन्त, तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
6. श्री ओम प्रकाश, मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
7. श्री आर0के0 तिवारी, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

1. **कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य** :– जनपद देहरादून के विकासखण्ड डोईवाला में सौंग नदी के दांये तट पर नदी की परिधि से लगता हुआ ग्राम गौहरीमाफी स्थित है। नदी उक्त ग्राम के समीप लगभग 03 कि०मी० लम्बाई में बहती है। विगत वर्षों में मॉनसून अवधि में सौंग नदी में बाढ़ आने के कारण ग्राम गौहरीमाफी की कृषि भूमि का कटाव एवं ग्राम में जल–भराव की भीषण समस्या उत्पन्न हो जाती है। वर्ष 2019 में अति–संवेदनशील भाग की बाढ़ सुरक्षा हेतु नाबार्ड वित्त पोषित योजना के अंतर्गत 500 मी० लम्बाई में बाढ़ सुरक्षा कार्य कराये गए है, इसी उद्देश्य से उक्त योजना की आवश्यकता के दृष्टिगत आगणन गठित किया गया है।
2. **योजना में प्राविधान** :– योजना में निम्न कार्य प्राविधान किये गये है :–

3 मीटर ऊचाई में सी0सी0 1:3:6 ब्लॉक द्वारा सुरक्षा दीवार	850 मीटर
4.50 मी0 ऊँचाई में सी0सी0 1:3:6 ब्लॉक द्वारा सुरक्षा दीवार	150 मीटर
सुरक्षा दीवार के आगे 3.00 x 3.00 x 1.50 मी0 आकार के सी0सी0 1:3:6 के ब्लॉक 3.20 मी0 सी0/सी0 दूरी	313 नं0
ब्लॉक एवं स्पर के आगे 3.00 x 1.50 x 1.50 मी0 आकार के वायरक्रेट	1384 नं0
स्पर 6.0 मी0 लम्बाई में 18 मी0 सी0/सी0 दूरी	76 नं0
स्पर 15.00 मी0 लम्बाई में 18 मी0 सी0/सी0 दूरी	04 नं0

Sant

क्रमशः पृष्ठ–2/–

3. **व्यय वित्त समिति की बैठक से पूर्व प्रस्तुत राज्य योजना आयोग का अभिमत :–**

3.1 योजना उत्तराखण्ड राज्य की राज्य तकनीकी सलाहकार समिति की 38वीं बैठक दिनांक 26.02.2021 द्वारा लागत रू0 909.65 लाख हेतु अनुमोदित की गयी है।

3.2 सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में विभागीय समिति की बैठक दिनांक 26.03.2021 में अनुमोदित है तथा व्यय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

3.3 योजना नाबार्ड से वित्त पोषण के अन्तर्गत प्रस्तावित की गयी है।

3.4 यह बाढ सुरक्षा योजना सौंग नदी के दाये तट पर स्थित ग्राम गौहरी माफी की आबादी एवं कृषि भूमि को नदी के बाढ से सुरक्षा हेतु प्रस्तावित की गयी है।

3.5 योजना से 60 आवासीय भवन, 19 हेक्टेयर भूमि को नदी के कटाव से सुरक्षा प्रदान की जायेगी जिससे लगभग 1800 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

3.6 योजना कार्य स्थल के विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर गठित की गयी है, योजना का hydrolic Design किया गया है तथा डिजाइन के अनुसार कार्य प्रस्तावित किये गये है।

3.7 योजना आगणन में भूमि एवं भवन की दरें जनपद देहरादून में राजस्व विभाग से अनुमोदित दरों के आधार पर ली गयी है।

3.8 योजना के लाभ लागत अनुपात 4.15:1 है।

3.9 योजना आगणन में प्रस्तावित कार्यो की लागत का विवरण निम्नानुसार है :–

(धनराशि रू0 लाख में)

S. No.	Items	Amount Checked by TAC
1	Preliminary	-
2	Land	-
3	Work	783.21
4	Earth Work	-
5	Plantation	-
6	Miscellaneous	-
7	Contengency & GST (As per Abstract of Cost)	117.47
		900.68

परियोजना की कुल लागत :– रू0 900.68 लाख

4. **व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय :–**

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी चर्चा के उपरान्त प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव लागत सार–3.9 (Summary of Cost) **में अंकित लागत के सारांश–3.9 में उल्लिखित मदवार विवरण राज्य योजना आयोग स्तर पर परीक्षणोपरान्त लागत धनराशि रू0 900.68 लाख** को निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदित किया गया :–

4.1 कार्यो की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय, इस सम्बन्ध में Third Party Quality Assurance हेतु वाह्य संस्था नियोजन विभाग द्वारा नियुक्त की जायेगी, जो त्रैमासिक रिपोर्ट नियोजन विभाग (राज्य योजना आयोग) को प्रस्तुत करेगें नियोजन विभाग द्वारा रिपोर्ट परीक्षण के उपरान्त ही कार्यदायी संस्था को भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

क्रमशः पृष्ठ–3/–

4.2 सामग्री एवं उपकरण क्रय हेतु ई–प्रोक्योरमेन्ट एवं जैम पोर्टल/पारदर्शी एवं खुली निविदा के माध्यम से वित्तीय नियमों के अनुसार अधिप्राप्ति नियमावली–2017 का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4.3 योजना कार्यो पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4.4 योजना निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियोजन विभाग को कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में अवश्य संसूचित किया जाय ताकि निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकें।

4.5 निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, स्टोन, पाईप, cement एवं अन्य का I.S.Code के मानको के अनुरूप N.A.B.L. Laboratory से परीक्षण कराते हुए मानक विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्ता अवश्य सुनिश्चित की जाय।

4.6 कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य के समस्त Design and Drawing सक्षम स्तर से अनुमोदित कराया जाय।

4.7 आगणन में एस0ओ0आर0 की दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टयां भी उल्लिखित है। विशिष्टयों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें है।

4.8 मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन को अवगत करायेंगे।

व्यय वित्त समिति के उपरोक्त क्रमांक 4.1–4.8 तक निहित शर्तो का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों पर शत–प्रतिशत अनुपालन किया जाय।

उक्त प्रतिबन्धों का समावेश इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव कर लिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(ओम प्रकाश)
मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग)
संख्या 699/718/ई0एफ0सी0/सिंचाई विभाग/रा0यो0आ0/2021
देहरादूनः दिनांकः 30, जून, 2021

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तरखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रोग्रामर, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कार्यवृत्त को वेबसाइट में अपलोड करे।

(डॉ0 वी0 षण्मुगम)
सचिव (प्रभारी)